रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262982
CG-DL-E-08052025-262982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2025/वैशाख 18, 1947
No. 256]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2025/VAISAKHA 18, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2025

सं. 11/2025- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 299(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "टेक्सचरड टेम्पर्ड कोटेड एंड उन्काटेड ग्लास" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारम्भिक निष्कर्षों संख्या 6/29/2023-डीजीटीआर, दिनांक 5 नवंबर, 2024, जिसे दिनांक 5 नवंबर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत, विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2024-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसंबर, 2024, जिसे

सा.का.नि. 749(अ), दिनांक 4 दिसंबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तुओं पर दिनांक 4 दिसंबर, 2024 से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पहले के प्राथमिक निष्कर्षों, दिनांक 5 नवंबर, 2024, की अभिपुष्टि करते हुए अधिसूचना सं. 6/29/2023-डीजीटीआर, दिनांक 10 फ़रवरी, 2025, जिसे दिनांक 10 फ़रवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि-

(i) इस क्षति अवधि में विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयात की मात्रा में निरपेक्ष और तुलनात्मक दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है;

(ii) प्रश्नगत उत्पाद का विषयगत देशों से भारत को किया गया निर्यात इसके औने-पौने दामों पर हुआ है;

(iii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को माल संबंधी क्षति हुई है;

(iv) माल संबंधी क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयात के कारण हुई है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अनंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उक्त विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उसके संदर्भ मूल्य के रूप में विनिर्दिष्ट राशि के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि ऐसा अवतरण मूल्य कॉलम (7) में दर्शायी गई राशि से कम हो, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा-

सारणी

क्र. सं	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541*	टेक्सचरड टेम्पर्ड (टेम्पर्ड) कोटेड और उन्काटेड ग्लास **	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शांक्सी टोपराय सोलर कंपनी लिमिटेड	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	अन्हुई फ्लैट सोलर गिलास कंपनी लिमिटेड और फ्लैट गिलास ग्रुप कंपनी लिमिटेड	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	अन्हुई सीइसजी न्यू एनर्जी मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

4.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	डोंगगुआन सीइसजी सोलर गिलास कंपनी लिमिटेड	658	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	वुजिआंग सीइसजी गिलास कंपनी लिमिटेड	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	गुआंग्क्सी सिन्यी फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड / सिन्यी पी वी प्रोडक्ट्स (अन्हुई) होल्डिंग्स लिमिटेड / सिन्यी सोलर (सुज़होउ) लिमिटेड	658	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	ज़हानगज़्हौ कॉबिंग फोटोवोल्टाइक न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड / हुनान कॉबिंग सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड / निंगबो कॉबिंग फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	659	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	पर उल्लिखित सीरियल नंबर 1 से 7 के अलावा कोई भी उत्पादक	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	वही	वही	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम	फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड	570	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	वही	वही	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	पर उल्लिखित सीरियल नंबर 10 के अलावा कोई भी उत्पादक	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	वही	वही	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी उत्पादक	664	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

*** बनावट वाला कड़ा (टेम्पर्) गलास जिसकी मोटाई न्यूनतम **90.5%** संचरण **4.2** मिमी (**0.2** मिमी की सहनशीलता सहित) से अधिक न हो और जहां कम से कम एक आयाम **1500** मिमी से अधिक हो, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड। उत्पाद को सौर ग्लास, सौर गलास कम लोहा, सौर पीवी गलास, उच्च संचरण फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड कम लोहे के पैटर्न वाले सौर रलास और गर्मी मजबूत गलास जैसे विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है ।*

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 4 दिसंबर, 2024 से पांच वर्ष की अवधि तक, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क

अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

स्पष्टीकरण 2 – इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयात का अवतरण मूल्य वह आकलनीय मूल्य होगा जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमाशुल्क के द्वारा निर्धारित किया गया हो और इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अतंर्गत आने वाले शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे।

[फा. सं. सीबीआॅयसी-190354/182/2024-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2025

No. 11/2025-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 299(E).—Whereas, in the matter of "Textured Tempered Coated and Uncoated Glass" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff headings 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* Notification No. 6/29/2023-DGTR, dated the 5th November, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th November, 2024, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating and exported from the subject countries;

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods with effect from the 4th December, 2024 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2024-Customs (ADD), dated the 4th December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S. R. 749(E), dated the 4th December, 2024;

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/29/2023-DGTR, dated the 10th February, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated 10th February, 2025, while confirming the preliminary findings, dated the 5th November, 2024, has come to the conclusion that-

(i) there is substantial increase in the volume of dumped imports of subject goods from the subject countries over the injury period in absolute and relative terms;

(ii) the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;

(iii) the domestic industry has suffered material injury;

(iv) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the heading/sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a reference form of anti-dumping duty at the rate equal to the difference between the landed value of subject goods and the reference amount specified in the corresponding entry in column (7), provided the landed value is less than the value indicated in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Heading**	**Description**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Amount**	**Unit**	**Currency**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541*	Textured Toughened (Tempered) Coated and Uncoated Glass **	China PR	China PR	Shaanxi Topray Solar Co., Ltd	664	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	China PR	Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd. & Flat Glass Group Co., Ltd.	664	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	China PR	Anhui CSG New Energy Material Technology Co., Ltd	664	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	China PR	Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd	658	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	China PR	Wujiang CSG Glass Co., Ltd	664	MT	USD
6.	-do-	-do-	China PR	China PR	Guangxi Xinyi Photovoltaic Industry Co., Ltd / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd. / Xinyi Solar (Suzhou) Ltd.	658	MT	USD
7.	-do-	-do-	China PR	China PR	Zhangzhou Kibing Photovoltaic New Energy Technology Co., Ltd / Hunan Kibing Solar Technology Co., Ltd. / Ningbo Kibing	659	MT	USD

					Photovoltaic Technology Co., Ltd.			
8.	-do-	-do-	China PR	All countries, including China PR	Any Producer other than those mentioned in S.No. 1 to 7	664	MT	USD
9.	-do-	-do-	All countries other than China PR and Vietnam	China PR	Any	664	MT	USD
10.	-do-	-do-	Vietnam	Vietnam	Flat (Vietnam) Co., Ltd	570	MT	USD
11.	-do-	-do-	Vietnam	All countries including Vietnam	Any Producer other than those mentioned in S.No.10	664	MT	USD
12.	-do-	-do-	All countries other than Vietnam and China PR	Vietnam	Any	664	MT	USD

* *The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.*

** *Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated. The product is also known by various other names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass and heat strengthened glass.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 4th December, 2024, unless revoked, amended or superseded earlier, and shall be payable in Indian currency.

Explanation 1.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the Customs Act), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

Explanation 2.- The landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act and includes all duties of custom except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act.

[F. No. CBIC-190354/182/2024-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA